छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
: मंत्रालय :
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 171/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04.12.24

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़।

विषयः– शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट संख्या के विरूद्ध शत–प्रतिशत नामांकन दर्ज करने हेतु पोषक–विद्यालय संपर्क अभियान कार्यक्रम के संबंध में ।

———

विषयांतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों के विरूद्ध शत–प्रतिशत नामांकन आगामी वर्षों में दर्ज करने हेतु **पोषक–विद्यालय संपर्क अभियान** किया जाना है। इस हेतु दिशा–निर्देश संलग्न है। कार्यक्रम पूर्ण होने उपरांत विश्लेषण प्रतिवेदन की जानकारी शासन को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करना होगा, जिसे पृथक से जारी किया जावेगा। अतः **पोषक–विद्यालय संपर्क अभियान** के सफल क्रियान्वयन हेतु पोषक विद्यालय से संपर्क स्थापित कर कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन करें।

4/12/24
(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 172/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04.12.24

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय।
2. कुलपति, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पोषक–विद्यालय संपर्क अभियान

–– दिशा निर्देश ––

प्रस्तावना :

विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुशल एवं ज्ञानी युवाओं की आवश्यकता है। अतः अधिक से अधिक युवाओं को उच्च शिक्षा में अध्यापन कराना होगा। वर्तमान में प्रदेश की सकल नामांकन अनुपात (GER) वर्तमान में 19.6 है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। वर्तमान में विद्यार्थियों का नामांकन औसतन 71–74 प्रतिशत एवं सुदूर अंचल के महाविद्यालयों में 30–40 प्रतिशत दर्ज हो रहा है तथा संचालित पाठ्यक्रमों, की जानकारी/जागरूकता के अभाव से शत–प्रतिशत नामांकन दर्ज नहीं हो पा रहा है। अतः स्वीकृत सीट संख्या के विरूद्ध शत–प्रतिशत नामांकन दर्ज हेतु महाविद्यालय द्वारा "पोषक–विद्यालय संपर्क अभियान" आरंभ किया जाना है।

उददेश्य :

महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट पर शत प्रतिशत प्रवेश करने हेतु "पोषक–विद्यालय" का चिन्हांकन करते हुए उच्चतर माध्यमिक (11-12th Class) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।

रणनीति :

उद्देश्य पूर्ति हेतु महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों (NEP-2020), उपलब्ध सुविधाओं, प्रवेश प्रक्रिया, शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृति एवं अन्य लाभकारी योजनाएँ, महाविद्यालयीन पूर्व छात्र/छात्राओं के उपलब्धियों/सफलताओं से अवगत कराना, वर्तमान उत्कृष्ट विद्यार्थियों से परिचर्चा आदि का आयोजन करना है।

समय अवधिः

प्रत्येक विद्यालय में यह कार्यक्रम न्यूनतम आधा दिन सम्पादित किया जयेगा। प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के मध्य ($2^{nd}/3^{rd}$ week), महाविद्यालय एवं विद्यालय के प्राचार्यो के द्वारा पारस्परिक चर्चा/समन्वय/सुविधा अनुसार निर्धारित तिथि को कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

कार्य क्षेत्र :

समस्त शासकीय महाविद्यालय के पोषक विद्यालयों अथवा 10–15 कि.मी. के परिक्षेत्र में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र अन्तर्गत है। स्थानीय स्थिति एवं विगत सत्रों में प्रवेश की वास्तविकता के आधार पर प्राचार्य द्वारा पोषक विद्यालय/कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकता है।

गतिविधियॉ :

समस्त शासकीय महाविद्यालयों में उक्त अभियान हेतु निम्नानुसार गतिविधियां सुनिश्चित किया जाना है –

अ. विद्यालय में कार्यक्रम आयोजन के पूर्व की तैयारीः

1. महाविद्यालयों में विगत तीन वर्षो अन्तर्गत दर्ज नामांकन तथा संकाय, पाठ्यक्रम एवं विषय वार स्वीकृत सीट संख्या के विरूद्ध प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाये।
2. महाविद्यालय हेतु कार्य परिक्षेत्र निर्धारित करते हुये पोषक–विद्यालयों को चिन्हित करें।
3. समस्त चिंहाकिंत विद्यालयों के प्राचार्य से सम्पर्क कर उक्त अभियान के उद्देश्य एवं गतिविधियों पर चर्चा किया जाये तथा कार्यक्रम हेतु तिथि एवं अवधि निर्धारित किया जाये।
4. महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा महाविद्यालयीन शिक्षकों की बैठक आयोजित कर नामांकन/प्रवेश विश्लेषण कर तद्नुसार कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा तथा समय–सारणी निर्मित किया जाये।
5. महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा चिन्हांकित विद्यालयों के प्राचार्य को पत्र प्रेषित कर कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया जाये।
6. संपर्क अभियान कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मौलिक अवधारणाओं एवं प्रावधानों, महाविद्यालय मे संचालित पाठयक्रमों का विवरण, विशेषताएँ, महत्व एवं उपादेयता, उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों, विशिष्टताओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत करावे। इस हेतु संक्षिप्त आकर्षक प्रस्तुतीकरण (पीपीटी/विडीयों/इमेज विडियों/स्टैण्डी/लघु हॉर्डिंग्स/पोस्टर आदि) निर्मित किया जाये, जो पूर्णतः स्वव्याख्यात्मक, चित्रमय एवं प्रभावकारी हो। उक्त कार्यक्रम निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्रियों की समुचित व्यवस्था पूर्व से ही से सुनिश्चित किया जाये।
7. संपर्क अभियान कार्यक्रम में महाविद्यालय के चिन्हांकित शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों (एलुमनी, उत्कृष्ट विद्यार्थी एवं **NEP Ambassadors**) की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाये।

ब. विद्यालय में उपस्थित होकर कार्यक्रम का संपादनः

8. 11वीं एवं 12वी के विद्यार्थियों को एक स्थान पर एकत्रित करें। अभियान दल का परिचय देते हुए इस अभियान के उद्देश से अवगत कराये। महाविद्यालय का प्रस्तुतीकरण (पीपीटी/विडीयों/इमेज विडियों आदि) का प्रदर्शन किया जावे।
9. निर्मित पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी को यथा स्थान पर कार्यक्रम के पूर्व प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाये।
10. महाविद्यालय मे संग्ठित प्रकोष्ठ यथा– एन.एस.एस/एन.सी.सी, आई.क्यू.ए.सी, खेल, ग्रन्थालय, सांस्कृतिक एवं शोध की गतिविधियॉ/विशेषताएँ तथा इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों से भी विद्यार्थियों को अवगत कराया जाये।
11. विद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी/सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी/गणित की पहेली आदि का आयोजन किया जाये तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाये।

12. विद्यालय के विद्यार्थियों विशेषकर हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थियों के लिए करियर काउसलिंग का आयोजन किया जाये, जिससे अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य के लिये पाठ्यक्रम/विषय चयन कर भविष्य निर्धारण करने में सुविधा हो सकें।
13. पोषक विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को भी उनके विचारों एवं जिज्ञासाओं के प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाये।
14. विद्यार्थियों के दुविधाओं को दूर करने हेतु प्रश्नोत्तरी का आयोजन करें।
15. अभियान दल में सम्मिलित महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थियों के मध्य विचारों का आदान–प्रदान भी सुनिश्चित किया जाये, जिसमें महाविद्यालयीन विद्यार्थियों द्वारा उनके तात्कालिक सफलताओं/उपलब्धियों का गुणगान सम्मिलित हो।

{कार्यक्रम आयोजन अन्तर्गत प्रतिभागियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये}

स. कार्यक्रम के आयोजन उपरान्तः

16. कार्यक्रम आयोजन के उपरान्त विद्यालय को धन्यवाद/आभार संदेश सहित निरन्तर अकादमिक विनिमय एवं पारस्परिक सहयोग हेतु पत्र प्रेषित किया जायें।
17. विद्यालय के शिक्षकों विद्यार्थियों से फिडबैक प्राप्त कर विश्लेषनात्मक निष्कर्ष के अनुरूप अग्रिम गतिविधियॉ/कार्ययोजना निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
18. महाविद्यालय में आयोजित अकादमिक कार्यक्रम में पोषक विद्यालयों के शिक्षकों एवं हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाये।
19. प्रति सत्र महाविद्यालय एवं विद्यालय संयुक्त रूप से अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये तथा प्राध्यापक एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करें।
20. पोषक विद्यालयों के शिक्षकीय कार्य एवं अन्य आयोजनों में महाविद्यालय का सहभागिता एवं सहयोग करें।
21. 12वीं की परीक्षा समाप्ति उपरान्त एवं परिणाम घोषणा से पूर्व अर्द्धदिवसीय कार्यशाला आयोजित किया जाये, जहां पर 12वीं के विद्यार्थियों के पालकों/अभिभावकों को आमंत्रित कर महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, प्रवेश प्रक्रिया, शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृति एवं अन्य लाभकारी योजनाएँ आदि से अवगत करावे।
22. पोषक विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के फीडबेक के आधार पर महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें।

बजट प्रावधान :

कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यय की व्यवस्था, उपलब्ध बजट, स्थानीय स्रोत्र, जनभागीदारी मद से किया जाये। इस हेतु पृथक से कोई भी राशि शासन द्वारा उपलब्ध नहीं किया जायेगा।

दस्तावेजीकरण :

1. **पोषक–विद्यालय संपर्क अभियान** अंतर्गत विद्यालयों में किये जा रहे कार्यक्रमों की फोटोग्राफी / वीडियोंग्राफी सहित दस्तावेजीकरण करें।
2. विद्यालय में पारस्परिक विचार–विमर्श कर, शासन द्वारा पृथक से जारी प्रारूप में डाटा एण्ट्री कर विश्लेषण करें। विश्लेषण के आधार पर शासन द्वारा प्रदाय प्रारूप में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करना हो या वर्तमान संचालित पाठ्यक्रम को बंद करना हो, वर्तमान संचालित पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि करना हो, इसके अतिरिक्त यदि आस–पास में अन्य शासकीय महाविद्यालय होने पर उसका विलय करना हो तो अभिमत सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें।

परिणाम संकेतक –

- महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट संख्या के विरूद्ध 95 प्रतिशत से अधिक प्रवेश होना।
- प्रतिवर्ष पोषक क्षेत्र के सकल नामांकन अनुपात (GER) प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि होना।

– – – 0 0 0 – – –